सलेम मुस्लिम ब्यूरिअल ग्राउंड प्रोटेक्शन कमिटी

बनाम

तमिलनाडु राज्य और अन्य

(2014 की दीवानी अपील संख्या 7467-7470)

18 मई, 2023.

[वी. रामसुब्रमण्यम और पंकज मित्थल, न्यायमूर्तिगण]

वक्फ - एकल न्यायाधीश द्वारा वाद भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित किया गया था - खंड पीठ द्वारा आदेश अपास्त किया गया - अभिनिर्धारितः मुस्लिम कानून के तहत, एक वक्फ कई तरीकों से बनाया जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से इस्लाम मानने वाले व्यक्ति द्वारा किसी भी चल और अचल संपत्ति के स्थायी समर्पण द्वारा किसी भी उद्देश्य के लिए जिसे मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्य के रूप में मान्यता प्राप्त है और इस तरह के समर्पण के अभाव में, लंबे समय तक उपयोग द्वारा इसके अस्तित्व में आने की उपधारणा की जा सकती है - वर्तमान मामले में, स्वीकृत तथ्यों पर, वाद भूमि के समर्पण द्वारा वक्फ को खारिज किया जाता है - इसके अलावा, अभिलेख पर कोई ठोस सबूत नहीं है जो यह साबित करे कि वर्ष 1900 या 1867 से पहले वाद भूमि का वास्तव में कब्रिस्तान के रूप में उपयोग किया जा रहा था - इसलिए, यह दिखाने के लिए साक्ष्य के अभाव में कि इसका ऐसा उपयोग किया गया था, 1900 या 1867 से पहले कब्रिस्तान के रूप में वाद भूमि का कथित उपयोग, उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है - इस प्रकार, यह उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ का गठन नहीं कर सकता - वाद संपत्ति के संबंध में समर्पण या उपयोग द्वारा वक्फ के वैध निर्माण के

किसी भी सबूत के अभाव में, इसे वक्फ के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है ताकि इसे वक्फ संपत्ति के रूप में जारी रखा जा सके, चाहे कब्रिस्तान के रूप में इसका उपयोग हो या न हो - अपीलों में योग्यता का अभाव है और इन्हें खारिज किया जाता है - तमिलनाडु एस्टेट (उन्मूलन और रैयतवाड़ी में रूपांतरण) अधिनियम 1948 - धारा 111(ए), 19ए - वक्फ अधिनियम, 1955 - धारा 4, 5 - मद्रास एस्टेट भूमि अधिनियम, 1908 - धारा 20ए.

वक्फ अधिनियम, 1954 - धारा 4, 5 - वक्फ अधिनियम, 1995 - दोनों अधिनियमों की धारा 5 के तहत अधिसूचना - अभिनिर्धारित: वक्फ की सूची घोषित करने वाले दोनों अधिनियमों की धारा 5 के तहत अधिसूचना केवल अधिनियमों की धारा 4 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही प्रकाशित की जाएगी - किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने से पहले सर्वेक्षण करना एक अनिवार्य शर्त *है - मौजूदा मामले में, अभिलेख पर ऐसा कोई सबूत नहीं है कि 1954 अधिनियम की धारा 5 के तहत अधिसूचना जारी करने से पहले, कोई प्रक्रिया या सर्वेक्षण किया गया था जैसा कि धारा 4 द्वारा परिकल्पित है - ऐसी सामग्री के अभाव में, अधिनियम की धारा 5 के तहत केवल अधिसूचना जारी करना वाद भूमि के संबंध में एक वैध वक्फ का गठन नहीं करेगा - इसलिए, अधिसूचना दिनांक 29.04.1959 इस तथ्य का निर्णायक सबूत नहीं है कि वाद भूमि एक वक्फ संपत्ति है।*

वक्फ अधिनियम, 1954 - आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना - क्या राज्य सरकार इससे बाध्य है - अभिनिर्धारित: नहीं - वक्फ बोर्ड वक्फ अधिनियम के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण है - इसलिए, आधिकारिक राजपत्र वक्फ बोर्ड के कहने पर किसी भी अधिसूचना को ले जाने के लिए बाध्य है, लेकिन राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित

अधिसूचना के ऐसे प्रकाशन से केवल इस कारण से बाध्य नहीं है कि इसे इस प्रकार प्रकाशित किया गया है।

सिद्धांत/नियम - उपमत का सिद्धांत - विबंध - अपीलकर्ता-समिति की दलील कि रिट अपील की सुनवाई करते समय, उच्च न्यायालय केवल रिट याचिका को अनुमति देने या उसे खारिज करने के लिए बाध्य था और इसे खारिज करने का निर्णय लेने के बाद, वह सरकार को उन्मूलन अधिनियम की धारा 19ए के तहत दावों पर विचार करने के लिए निर्देश जारी नहीं कर सकता था - अभिनिर्धारित: अपीलकर्ता इस तरह के निर्देश से कभी व्यथित नहीं था क्योंकि उसने कभी भी किसी उच्च मंच में इस पर सवाल नहीं उठाया या चुनौती नहीं दी - ऐसा प्रतीत होता है कि उसने उक्त निर्णय और उसमें निहित निर्देश को स्वीकार कर लिया है क्योंकि उसने बिना किसी विरोध के सर्वेक्षण और निपटान निदेशक के समक्ष बाद की कार्यवाही में भाग लिया - सर्वेक्षण और निपटान निदेशक के समक्ष कार्यवाही में हारने के बाद, अपीलकर्ता समिति ने राजस्व बोर्ड के समक्ष पुनरीक्षण को प्राथमिकता दी जिसे भी खारिज कर दिया गया - पुनरीक्षण में भी कोई तर्क नहीं उठाया गया कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश क्षेत्राधिकार के बिना हैं और उस पर बाध्यकारी नहीं हैं - उपमत के बाद विबंध आता है - एक बार जब किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई आदेश पारित किया जाता है और वह कोई आपत्ति उठाए बिना उक्त आदेश के अधिकार क्षेत्र के अधीन हो जाता है या उसका अनुपालन करता है, तो उसे बाद में उक्त आदेश को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जब वह सफल नहीं हो सका - एक बार जब अपीलकर्ता समिति ने आदेश स्वीकार कर लिया और कार्यवाही में भाग लिया, तो कानून में उसे इस तरह का निर्देश जारी करने में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाने से विबंधित किया जाता है - तमिलनाडु एस्टेट (उन्मूलन और रैयतवाड़ी में रूपांतरण) अधिनियम 1948 - धारा 19 ए.

पन्नालाल बिंजराज बनाम भारत संघ **ए.आई.आर. 1957 एस.सी. 397: [1957] एस.सी.आर. 233 - अनुसरण किया।**

तमिलनाडु वक्फ बोर्ड बनाम खदीजा अम्मल (मृतक) कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा आदि **ए.आई.आर. 2002 एस.सी. 402: [2001] 2 पूरक एस.सी.आर. 428;** *मदनूरी श्री राम चंद्र मूर्ति बनाम सैयद जलाल* **(2017) 13 एस.सी.सी. 174: [2017] 5 एस.सी.आर. 294;** *आंध्र प्रदेश राज्य बनाम ए.पी. राज्य वक्फ बोर्ड और अन्य* **2022 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 159 - अवलंबित ।**

एम. सिद्दीक (मृतक) कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से बनाम महंत सुरेश दास और अन्य **(2020) 1 एस.सी.सी. 1: [2019] 18 एस.सी.आर. 1 – संदर्भित।**

नजीर संदर्भ

[2019] 18 एस.सी.आर. 1	**संदर्भित**	**कंडिका 27**
[2001] 2 पूरक एस.सी.आर. 428	**अवलंबित**	**कंडिका 33**
[2017] 5 एस.सी.आर. 294	**अवलंबित**	**कंडिका 34**
[1957] एस.सी.आर. 233	**अनुसरण किया**	**कंडिका 43**

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2014 की दीवानी अपील संख्या 7467-7470.

मद्रास उच्च न्यायालय के 2005 की रिट अपील संख्या 1327, 1348 और 2005 की डब्ल्यू.ए.एम.पी. संख्या 2437, 2476 में दिनांक 06.08.2009 के निर्णय और आदेश से।

अपीलकर्ता के लिए श्रीमती जून चौधरी, वरिष्ठ अधिवक्ता, मेसर्स शकील अहमद सैयद, सैयद अहमद सऊद, मोहम्मद परवेज डबास, उज़मी जमील हुसैन, दानिश अहमद सैयद, आकिब बेग, मोहम्मद साहिब, अधिवक्तागण।

उत्तरदाताओं के लिए नरेंद्र कुमार, के.वी. विजयकुमार, सुश्री एन.एस. नप्पिनई, वी. बालाजी, सी. कन्नन, आसाइथम्बी एमएसएम, राकेश के. शर्मा, डी. कुमानन, सुश्री दीपा एस. शेख एफ. कालिया, सुश्री रचीता चावला, सुश्री दिव्या सिंह, जी. बालाजी, अधिवक्तागण।

न्यायालय का निर्णय दिया गया

पंकज मित्थल, न्यायमूर्ति

1. इन अपीलों में चुनौती मद्रास उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित निर्णय और आदेश को है, जिसमें रिट अपीलों को अनुमति दी गई है, जिसके द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 29.04.2005 के निर्णय और आदेश को, जिसमें वाद भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित किया गया था, अपास्त कर दिया गया है।

2. वर्तमान अपीलों में विवाद सलेम ज़मीन एस्टेट में ज़मीन सर्वेक्षण संख्या 5105 और 5108 के आसपास की भूमि पर केंद्रित है जो क्रमशः ओ.टी.एस. संख्या 2253 और 2210 के

अनुरूप है। ओ.टी.एस. 2253 को न्यू टाउन सर्वे नंबर 1 (टी.एस. नंबर 1) और ओ.टी.एस. 2210 को न्यू टाउन सर्वे, यानी टी.एस. नंबर 113 और 70 आवंटित किया गया है।

3. वर्तमान अपीलों में, हम केवल ज़मीन सर्वेक्षण संख्या 5108 (ओ.टी.एस. 2210, अब टी.एस. संख्या 113 और 70) से संबंधित हैं, जिसे इसके बाद "वाद भूमि" के रूप में वर्णित किया जाएगा।

4. यहाँ अपीलकर्ता सलेम मुस्लिम ब्यूरिअल ग्राउंड प्रोटेक्शन कमिटी, सलेम[1] है। तमिलनाडु राज्य (राजस्व विभाग) उत्तरदाता संख्या 1 है, और उत्तरदाता संख्या 2 और 3 क्रमशः वाणिज्यिक कर और धार्मिक बंदोबस्ती और सर्वेक्षण एवं निपटान कार्यालय के निदेशक हैं, जो औपचारिक पक्ष हैं। उत्तरदाता संख्या 4 से 23 दावेदार हैं, जिन्होंने आरोप लगाया कि वे "वाद भूमि" पर निवास कर रहे हैं और अपने हित-पूर्वाधिकारियों के माध्यम से इस पर अधिकार प्राप्त करने के बाद अतिप्राचीन काल से वहां बसे हुए हैं। पुराने अभिलेख बताते हैं कि "वाद भूमि" एक समय में कब्रिस्तान परम्बोक के रूप में उपयोग की जाती थी, लेकिन नगरपालिका ने वर्ष 1867 में स्वास्थ्य कारणों से इसे बंद करने का आदेश दिया और कब्रिस्तान के रूप में उपयोग के लिए एक वैकल्पिक स्थल आवंटित किया गया था।

5. दावेदार उत्तरदाताओं में से एक, पेरुमल चेट्टियार ने "वाद भूमि" में रैयतवारी पट्टा का दावा किया। उत्तरदाता दावेदारों के तीन अन्य समूहों अर्थात् ए. रामास्वामी चेट्टियार, गोविंदा पिल्लई और श्री अब्दुल सलीम साहिब के माध्यम से अपीलकर्ता समिति ने भी वाद भूमि में

---

1 इसके बाद "**अपीलकर्ता समिति**" के रूप में संदर्भित।

अपने दावे स्थापित किए। तदनुसार, सहायक निपटान अधिकारी, सलेम[2] ने मार्च, 1959 में तमिलनाडु एस्टेट (उन्मूलन और रैयतवाड़ी में रूपांतरण) अधिनियम 1948[3] की धारा 11(ए) के तहत जांच शुरू की।

6. उन्मूलन अधिनियम, 1948 की उपरोक्त धारा 11 प्रदान करती है कि एक एस्टेट में प्रत्येक रैयत, अधिसूचित तिथि से, रैयतवारी भूमि के संबंध में रैयतवारी पट्टा का हकदार होगा, जिसका अर्थ मद्रास एस्टेट भूमि अधिनियम, 1908[4] के अनुसार एक एस्टेट में खेती योग्य भूमि है, जो निजी भूमि के अलावा है और जिसमें कुछ प्रकार की भूमि शामिल नहीं है, जैसे कि गाँव के स्थल और ग्रामीणों के सामान्य उपयोग के लिए अलग रखी गई भूमि।

7. ए.एस.ओ. द्वारा धारा 11(ए) के तहत शुरू की गई उपरोक्त जांच में, पेरुमल चेट्टियार ने दावा किया कि "वाद भूमि" उन्हें सलेम के जमींदार द्वारा दिनांक 20.01.1935 के प्रदर्श ए1 के माध्यम से सौंपी गई थी। उन्होंने प्रदर्श ए2 और ए3 पर भरोसा किया जो तत्कालीन जमींदार द्वारा वाद भूमि के संबंध में उन्हें दिए गए पट्टे थे। उपरोक्त आवंटन और पट्टों के आधार पर, उन्होंने आवंटन की तारीख से ही "वाद भूमि" पर अपना कब्जा होने का दावा किया और तर्क दिया कि मुसलमानों ने उक्त भूमि पर अपने शवों को कभी नहीं दफनाया है।

---

2 इसके बाद "**ए.एस.ओ.**" के रूप में संदर्भित।

3 इसके बाद "**उन्मूलन अधिनियम, 1948**" के रूप में संदर्भित।

4 इसके बाद "**एस्टेट एक्ट**" के रूप में संदर्भित।

8. साथ ही, ए. रामास्वामी चेट्टियार ने वर्ष 1954 में किसी समय रामास्वामी पिल्लई, मनिकम पिल्लई, सुभु पंडाराम और वासुदेव चेट्टियार से 5000/- रुपये की राशि में वाद भूमि का कुछ हिस्सा खरीदने का दावा किया। उन्होंने विभिन्न पक्षों के पक्ष में "वाद भूमि" के संबंध में उनके द्वारा निष्पादित बंधक विलेखों (प्रदर्श बी2 से बी7) के आधार पर अपने दावे का जोर दिया।

9. अन्य दावेदार गोविंदा पिल्लई ने वाद भूमि पर अपने हित-पूर्वाधिकारियों के स्वत्व के आधार पर अपना दावा पेश किया जैसा कि उन्हें उनके पिता ने बताया था, जबकि अपीलकर्ता समिति ने जोर दिया कि यह एक कब्रिस्तान है, और इसे किसी भी निजी व्यक्ति के साथ तय नहीं किया जा सकता है।

10. ए.एस.ओ. ने दिनांक 31.03.1959 के आदेश द्वारा सभी पक्षों के दावों को यह देखते हुए खारिज कर दिया कि "वाद भूमि" प्रकृति में सामुदायिक है और एस्टेट एक्ट की धारा 20ए के तहत समाहर्ता की घोषणा के बिना उक्त भूमि का कोई भी आवंटन संभव नहीं था। ए.एस.ओ. ने आगे देखा कि पिछले 60 वर्षों से "वाद भूमि" पर कोई दफन नहीं हुआ था और टी.एस. संख्या 2253 पर केवल 2 मकबरे मौजूद हैं और "वाद भूमि" पर किसी भी दफन का बिल्कुल कोई संकेत नहीं है, जिसका वास्तव में कभी भी कब्रिस्तान के रूप में उपयोग नहीं किया गया था।

11. दोनों दावेदारों - पेरुमल चेट्टियार और ए. रामास्वामी चेट्टियार ने ए.एस.ओ. के उपरोक्त आदेश के खिलाफ निपटान अधिकारी, सलेम के समक्ष अलग-अलग पुनरीक्षण दायर किए। निपटान अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 03.10.1959 के माध्यम से ए.एस.ओ. के समान

तर्क पर पुनरीक्षणों को खारिज कर दिया गया। यह अभिनिर्धारित किया गया कि दावेदार "वाद भूमि" पर रैयतवारी पट्टा के हकदार नहीं हैं।

12. ए.एस.ओ. और निपटान अधिकारी के आदेशों को उपरोक्त दोनों दावेदार उत्तरदाताओं द्वारा सर्वेक्षण और निपटान निदेशक के समक्ष पुनरीक्षण के माध्यम से उठाया गया, लेकिन उन पुनरीक्षणों को भी 31.01.1960 को खारिज कर दिया गया। इसके बाद, राजस्व बोर्ड के समक्ष पुनरीक्षण याचिकाएं भी खारिज कर दी गईं। ए.एस.ओ., निपटान अधिकारी, सर्वेक्षण और निपटान निदेशक और राजस्व बोर्ड के उपरोक्त आदेशों से व्यथित होकर, विभिन्न दावेदारों द्वारा "वाद भूमि" के संबंध में रिट याचिकाएं दायर की गईं, जिसमें क्रमशः ए. रामास्वामी चेट्टियार और पेरुमल चेट्टियार द्वारा 1960 की रिट याचिका संख्या 903 और 1258 शामिल हैं और उन दोनों ने "वाद भूमि" के संबंध में उन्मूलन अधिनियम की धारा 11 के तहत रैयतवारी पट्टा का दावा किया।

13. रिट न्यायालय ने दिनांक 03.05.1962 के एक सामान्य निर्णय और आदेश के माध्यम से सभी याचिकाओं को यह अभिनिर्धारित करते हुए खारिज कर दिया कि एक बार कब्रिस्तान रही भूमि का चरित्र केवल इस कारण से नहीं बदलेगा कि इसका उपयोग 1900 के बाद से दफनाने के उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है या उक्त भूमि पर कोई दफन नहीं हुआ है। यह भी देखा गया कि "वाद भूमि" का कभी भी कब्रिस्तान के रूप में उपयोग नहीं किया गया था और कब्रिस्तान टी.एस. 2253 के हिस्से पर रहा होगा और दोनों स्थल एक ट्रंक रोड से अलग हैं।

14. रिट न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट न होकर, दावेदार ए. रामास्वामी चेट्टियार ने कुछ अन्य लोगों के साथ खंड पीठ के समक्ष रिट अपीलें दायर कीं। रिट अपीलों को निर्णय और आदेश दिनांक 12.01.1965 के माध्यम से खारिज कर दिया गया, लेकिन निम्नलिखित अवलोकन के साथ:

"... इनमें से प्रत्येक मामले में, हम संबंधित याचिकाकर्ता के दावे की सरकार द्वारा मान्यता की सराहना करेंगे, कि वह मद्रास अधिनियम 26 ऑफ 1948 की धारा 19 ए के तहत कब्जे में बने रहने के अपने अधिकार को जारी रखे, जो निश्चित रूप से, उन सभी विचारों के अधीन है जो मुस्लिम ब्यूरिअल ग्राउंड कमिटी, या दावा करने में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा, यहां तक कि वर्तमान समय में भी प्रश्नगत संपत्ति के सांप्रदायिक उपयोग या प्रकृति के विपरीत प्रभाव के लिए आग्रह किए जा सकते हैं। इसके अलावा, हमारी टिप्पणियाँ इस शर्त के अधीन हैं कि 1948 के अधिनियम 26 की धारा 19 ए के तहत दावा करने वाले याचिकाकर्ता मूल्य के लिए वास्तविक रूप से अलग किए गए व्यक्ति हैं, जिन्होंने ऐसी संपत्तियां ली हैं और उन्हें निजी उपयोग में लाया है, इस वास्तविक विश्वास में कि वे जमींदार से विक्रेताओं के निजी स्वामित्व वाली भूमि के साथ व्यवहार कर रहे थे न कि सांप्रदायिक भूमि के साथ। इन व्यक्तियों द्वारा उस पर भवनों का निर्माण भी सद्भावना के सबूत के रूप में माना जा सकता है और एक तथ्य जो उन्हें, सामयिक विचारों पर अधिनियम की धारा 19 ए के तहत कार्रवाई के लाभ का हकदार बनाता है।"

15. खंड पीठ का उपरोक्त अवलोकन और निर्देश विवाद की जड़ है जो वर्तमान अपीलों की ओर ले जाता है।

16. खंड पीठ के उपरोक्त निर्देश पर किसी भी पक्ष द्वारा किसी भी उच्च मंच में या अन्यथा भी सवाल नहीं उठाया गया था, बल्कि यहाँ अपीलकर्ता समिति ने बिना किसी आरक्षण के परिणामी कार्यवाही में भाग लेकर उक्त आदेश को स्वीकार कर लिया।

17. सर्वेक्षण और निपटान निदेशक ने उच्च न्यायालय की खंड पीठ के उपरोक्त निर्देशों के बल पर उन्मूलन अधिनियम की धारा 19ए के तहत कार्यवाही शुरू की और अंततः आदेश दिनांक 31.01.1975 के माध्यम से दावेदार ए. रामास्वामी चेट्टियार और अन्य द्वारा स्थापित दावों को स्वीकार कर लिया। यह अभिनिर्धारित किया गया कि उन्होंने "वाद भूमि" को उन व्यक्तियों से मूल्यवान प्रतिफल के लिए खरीदा है जिन्होंने बहुत लंबे समय तक "वाद भूमि" पर कब्जा किया था और दफनाने के उद्देश्यों के लिए इसकी आवश्यकता नहीं थी।

18. उन्मूलन अधिनियम की धारा 19ए के तहत दावेदारों को अधिकार प्रदान करने वाले सर्वेक्षण और निपटान निदेशक के निर्णय से व्यथित होकर, अपीलकर्ता समिति ने भूमि राजस्व आयुक्त, मद्रास के समक्ष पुनरीक्षण दायर किया। इसे 20.04.1976 को खारिज कर दिया गया। राजस्व विभाग ने दिनांक 14.03.1990 का जी.ओ.एम.संख्या453 जारी किया, जिसमें सर्वेक्षण और निपटान निदेशक के आदेश को स्वीकार और पुष्टि की गई, जिससे दावेदार उत्तरदाताओं को "वाद भूमि" पर कब्जे में बने रहने की अनुमति मिली। इस स्तर पर, अपीलकर्ता समिति ने राजस्व विभाग द्वारा जारी सरकारी आदेश को चुनौती देते हुए 1990 की रिट याचिका संख्या 6300 दायर करके उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार का आह्वान किया। उसी प्रभाव की एक और रिट याचिका ए. अन्नामलाई और 13 अन्य द्वारा दायर की गई थी। यह तर्क दिया गया था कि भूमि राजस्व आयुक्त ने उन्हें सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना सर्वेक्षण और निपटान निदेशक के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण को खारिज कर दिया था। उक्त रिट याचिकाएं खारिज

कर दी गईं जिसके बाद अपीलकर्ता समिति ने रिट अपीलें दायर कीं जिन्हें 08.07.1999 को अनुमति दी गई और मामले को तीन महीने के भीतर फिर से सुनने और फिर से निर्णय लेने के लिए सरकार को प्रतिप्रेषित कर दिया गया।

19. उपरोक्त निर्देशों के परिणामस्वरूप, सरकार के स्तर पर मामले पर पुनर्विचार किया गया और दिनांक 23.12.1999 का जी.ओ.एम.संख्या676 जारी किया गया, जिसमें यह देखते हुए कि चूंकि "वाद भूमि" सरकार में निहित है, इसलिए उसके लिए दावेदार उत्तरदाताओं को उन्मूलन अधिनियम की धारा 19ए के तहत उसी पर कब्जे में रहने की अनुमति देना खुला है।

20. अपीलकर्ता समिति ने फिर से एक नई रिट याचिका संख्या 5985 ऑफ 2000 दायर करके दिनांक 23.12.1999 के उपरोक्त जी.ओ.एम.संख्या676 को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की। रिट याचिका को आदेश दिनांक 29.04.2005 के माध्यम से दो आधारों पर अनुमति दी गई: (i) कि "वाद भूमि" को वक्फ संपत्ति के रूप में अधिसूचित किया गया है और इस तरह इसे उन्मूलन अधिनियम की धारा 19ए के तहत शक्तियों के प्रयोग में अलग नहीं किया जा सकता है; और (ii) भले ही धारा 19ए का प्रयोग किया जाता है, कोई भी अधिकार दावेदार उत्तरदाताओं को यह दिखाने के लिए किसी भी सामग्री के अभाव में प्रदान नहीं किया जा सकता है कि उन्हें भूमि धारकों द्वारा कब्जे में रखा गया था।

21. दावेदार उत्तरदाता, रिट न्यायालय के उपरोक्त निर्णय और आदेश से व्यथित होकर क्रमशः 2005 की रिट अपील संख्या 1327 और 1348 दायर कीं, जिन्हें आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक 06.08.2009 द्वारा अनुमति दी गई है, रिट न्यायालय के आदेश को रद्द करने के बाद, यह अभिनिर्धारित करते हुए कि ओ.टी.एस. 2253 एक मुस्लिम कब्रिस्तान के रूप में

पंजीकृत है जिसे वक्फ बोर्ड को सौंप दिया गया है, जबकि "वाद भूमि" (ओ.टी.एस. 2210 अब टी.एस. संख्या 113 और 70) केवल एक रुद्र भूमि के रूप में दर्ज है जिसमें मुस्लिम दफन का कोई संकेत नहीं है और इस प्रकार सर्वेक्षण और निपटान निदेशक के आदेश दिनांक 31.01.1975 में सही ढंग से वक्फ संपत्ति नहीं माना गया है। वाद भूमि को वक्फ संपत्ति के रूप में किसी भी समर्पण को स्थापित करने के लिए अभिलेख पर कोई सामग्री नहीं है और वक्फ के रूप में "वाद भूमि" के संबंध में दिनांक 29.04.1959 की अधिसूचना अस्वीकार्य है; पहला इस कारण से कि उक्त अधिसूचना को अपीलकर्ता समिति द्वारा 1999 तक किसी भी मामले में किसी भी प्राधिकरण के समक्ष दबाया नहीं गया था; और दूसरा, इस कारण से कि यह स्थापित करने के लिए अभिलेख पर कोई सबूत नहीं लाया गया था कि वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 5 के तहत उक्त अधिसूचना जारी करने से पहले वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 4 के तहत परिकल्पित कोई प्रारंभिक सर्वेक्षण किया गया था।

22. यह उपरोक्त पृष्ठभूमि में है कि इन अपीलों को प्राथमिकता दी गई है और हमारे विचार के लिए सामने आई हैं।

23. हमने अपीलकर्ता समिति के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमती जून चौधरी और उत्तरदाताओं के लिए उपस्थित अधिवक्तागण श्री नरेंद्र कुमार और सुश्री एन.एस. नप्पिनई को सुना था।

24. हमारे सामने श्रीमती जून द्वारा केवल दो तर्क दिए गए थे। पहला यह है कि एक बार वक्फ हमेशा एक वक्फ होता है और इसलिए, पिछले 60 वर्षों या उससे अधिक समय से "वाद भूमि" पर शवों को दफनाने से इसकी प्रकृति में कोई बदलाव नहीं आएगा ताकि दावेदार

उत्तरदाताओं को उन्मूलन अधिनियम की धारा 19ए के तहत शक्ति के प्रयोग में रैयतवारी पट्टा का कोई अधिकार प्रदान किया जा सके; दूसरा, ए.एस.ओ., निपटान अधिकारी, सर्वेक्षण और निपटान निदेशक, राजस्व बोर्ड और रिट क्षेत्राधिकार में उच्च न्यायालय द्वारा वाद भूमि में दावेदार उत्तरदाताओं के दावों को खारिज कर दिया गया है, उच्च न्यायालय की खंड पीठ अपनी अपीलीय शक्ति का प्रयोग करते हुए रिट अपीलों को या तो खारिज कर सकती थी या अनुमति दे सकती थी, लेकिन उन्मूलन अधिनियम की धारा 19ए के तहत दावों पर विचार करने के लिए निर्देशित नहीं कर सकती थी, वह भी रिट अपीलों को खारिज करते हुए।

25. मुस्लिम कानून के तहत, एक वक्फ कई तरीकों से बनाया जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से इस्लाम मानने वाले व्यक्ति द्वारा किसी भी चल और अचल संपत्ति के स्थायी समर्पण द्वारा किसी भी उद्देश्य के लिए जिसे मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्य के रूप में मान्यता प्राप्त है और इस तरह के समर्पण के अभाव में, लंबे समय तक उपयोग द्वारा इसके अस्तित्व में आने की उपधारणा की जा सकती है।

26. आमतौर पर, मुस्लिम कानून द्वारा मान्यता प्राप्त धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए चल या अचल संपत्ति के किसी भी स्पष्ट समर्पण द्वारा एक वक्फ अस्तित्व में लाया जाता है। एक बार जब ऐसा समर्पण कर दिया जाता है, तो समर्पित की जाने वाली संपत्ति वाकिफ यानी इसे बनाने या समर्पित करने वाले व्यक्ति से अलग हो जाती है और सर्वशक्तिमान अल्लाह में निहित हो जाती है। इस प्रकार बनाया गया वक्फ स्थायी प्रकृति प्राप्त कर लेता है और इसे बाद में रद्द या निरस्त नहीं किया जा सकता है। वक्फ की संपत्ति अहस्तांतरणीय होती है और निजी उद्देश्य के लिए बेची या हस्तांतरित नहीं की जा सकती है।

27. वक्फ के निर्माण में परिणामी समर्पण कभी-कभी किसी भी स्पष्ट समर्पण के अभाव में मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से भी उचित रूप से अनुमानित किया जा सकता है जैसे कि वक्फ संपत्ति के रूप में संपत्ति का लंबा उपयोग बशर्ते इसे धार्मिक या सार्वजनिक धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाया गया हो। इस संबंध में, ***एम. सिद्दीक (मृतक) कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से बनाम महंत सुरेश दास और अन्य***[5] में इस न्यायालय के संविधान पीठ के निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है।

28. वर्तमान मामले में, इस्लाम मानने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए वाद भूमि के किसी भी स्पष्ट समर्पण के रूप में शुरुआत से ही सबूत का कोई कण नहीं है। इसलिए, स्वीकृत तथ्यों पर, वाद भूमि के समर्पण द्वारा वक्फ को खारिज किया जाता है।

29. इसलिए, एकमात्र मुद्दा यह है कि क्या वाद भूमि उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ का गठन करेगी क्योंकि इसका उपयोग कब्रिस्तान के रूप में किया जाता था, जिस प्रथा को वर्ष 1900 या 1867 से कम से कम पिछले 60 वर्षों से रोक दिया गया है। अभिलेख पर कोई ठोस सबूत भी नहीं है जो यह साबित करे कि वर्ष 1900 या 1867 से पहले वाद भूमि का वास्तव में *कब्रिस्तान* के रूप में उपयोग किया जा रहा था। इसलिए, यह दिखाने के लिए साक्ष्य के अभाव में कि इसका ऐसा उपयोग किया गया था, 1900 या 1867 से पहले *कब्रिस्तान* के रूप में वाद भूमि का कथित उपयोग, उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस प्रकार, यह उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ का गठन नहीं कर सकता। कब्रिस्तान या दफन भूमि के रूप में वाद भूमि का कथित रिकॉर्डिंग एक मिथ्या नाम या गलत व्याख्या है क्योंकि वाद भूमि, यदि

---

5 (2020) 1 एससीसी 1

बिल्कुल भी, एक रुद्रभूमि के रूप में दर्ज की गई थी जो हिंदू श्मशान भूमि को दर्शाती है न कि कब्रिस्तान या दफन भूमि को। यह केवल ज़मीन सर्वेक्षण संख्या 5105 या ओ.टी.एस. संख्या 2253 (नया टी.एस. संख्या 1) था जिसमें दो मकबरे मौजूद थे जो अकेले कब्रिस्तान के रूप में दर्ज थे। उक्त भूमि को वाद भूमि से विशेष रूप से सीमांकित और अलग किया गया है। उक्त दफन भूमि को पहले ही वक्फ बोर्ड को सौंप दिया गया था और इस तरह इसकी रिकॉर्डिंग वाद भूमि की प्रकृति पर प्रभाव नहीं डालेगी ताकि इसे कब्रिस्तान या दफन भूमि के रूप में गठित किया जा सके। इसलिए, वाद भूमि लंबे उपयोग से भी वक्फ भूमि साबित नहीं हुई। समर्पण द्वारा या उपयोग द्वारा वाद भूमि के वक्फ के निर्माण को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है।

30. तर्क का एक और अंग यह है कि वाद भूमि को दिनांक 29.04.1959 की अधिसूचना द्वारा वक्फ संपत्ति घोषित किया गया है। इस संबंध में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऐसी घोषणा वक्फ अधिनियम, 1954 या वक्फ अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए। उपरोक्त दोनों अधिनियम किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने वाली अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित करते हैं।

31. वक्फ अधिनियम, 1954, जो वास्तव में हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, प्रदान करता है कि, पहले, वक्फ का एक प्रारंभिक सर्वेक्षण किया जाना है और सर्वेक्षण आयोग, ऐसी जांच के बाद जिसे आवश्यक समझा जा सकता है, उसमें उल्लिखित कुछ कारकों के बारे में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसके बाद राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना द्वारा दूसरा सर्वेक्षण आयोजित करने का निर्देश देगी। एक बार जब सर्वेक्षण की उपरोक्त प्रक्रिया पूरी हो जाती है और उससे उत्पन्न होने वाले विवादों का निपटारा हो जाता है,

तो रिपोर्ट प्राप्त होने पर, राज्य सरकार इसे वक्फ बोर्ड को भेज देगी। वक्फ बोर्ड इसकी जांच करने पर अधिनियम की धारा 5 के तहत परिकल्पित आधिकारिक राजपत्र में पूर्ण विवरण के साथ अस्तित्व में वक्फ की सूची प्रकाशित करेगा। वक्फ अधिनियम, 1995 के तहत भी इसी तरह के प्रावधान मौजूद हैं।

32. उपरोक्त दोनों अधिनियमों के प्रावधानों को सरसरी तौर पर पढ़ने से पता चलेगा कि वक्फ की सूची घोषित करने वाले दोनों अधिनियमों की धारा 5 के तहत अधिसूचना केवल उपरोक्त अधिनियमों की धारा 4 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही प्रकाशित की जाएगी, जो दो सर्वेक्षणों, उससे उत्पन्न विवादों के निपटारे और राज्य सरकार और बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रावधान करता है। इसलिए, किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने से पहले सर्वेक्षण करना एक *अनिवार्य शर्त* है। मौजूदा मामले में, आवश्यक आलेख या सबूत नहीं है कि वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 5 के तहत अधिसूचना जारी करने से पहले, अधिनियम की धारा 4 द्वारा परिकल्पित कोई प्रक्रिया या सर्वेक्षण किया गया था। ऐसी सामग्री के अभाव में, अधिनियम की धारा 5 के तहत केवल अधिसूचना जारी करना वाद भूमि के संबंध में एक वैध वक्फ का गठन नहीं करेगा। इसलिए, अधिसूचना दिनांक 29.04.1959 इस तथ्य का निर्णायक सबूत नहीं है कि वाद भूमि एक वक्फ संपत्ति है। संभवतः इसी कारण से अपीलकर्ता समिति ने 1999 तक उक्त अधिसूचना को कभी लागू नहीं किया।

33. ***तमिलनाडु वक्फ बोर्ड बनाम खदीजा अम्मल (मृतक) कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा आदि***[6] में, यह देखा गया कि वक्फ बोर्ड को अधिनियम की धारा 5 के तहत वक्फ को

---

6 एआईआर 2002 एससी 402

अधिसूचित करने से पहले वक्फ अधिनियम की धारा 4, 5 और 6 या धारा 27 के तहत आवश्यक प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।

34. ***मदनूरी श्री राम चंद्र मूर्ति बनाम सैयद जलाल***[7] में, निम्नानुसार देखा गया:

"16. इस प्रकार, यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि सर्वेक्षण आयुक्त द्वारा सर्वेक्षण करना और एक रिपोर्ट तैयार करना और उसे राज्य या वक्फ बोर्ड को भेजना 1995 के अधिनियम के तहत राज्य द्वारा आधिकारिक राजपत्र में ऐसी सूची को अधिसूचित करने के अंतिम कार्य से पहले होता है (यह 1954 के अधिनियम के तहत बोर्ड द्वारा था)। जैसा कि उपरोक्त उल्लेख किया गया है, सूची सर्वेक्षण आयुक्त द्वारा उचित जांच करने और वैध सर्वेक्षण के साथ-साथ उचित विचार-विमर्श के बाद तैयार की जाएगी। धारा 4 की उप-धारा (3) के तहत परिकल्पित जांच केवल एक अनौपचारिक जांच नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर यह पता लगाने के लिए एक औपचारिक जांच है कि क्या संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं। इसके बाद वक्फ बोर्ड एक बार फिर अपने दिमाग के उचित प्रयोग के साथ उसे भेजी गई सूची की जांच करेगा और उसके बाद ही इसे राजपत्र में अधिसूचित करने के लिए सरकार को भेजा जाएगा...।"

35. यह नोट किया जा सकता है कि वक्फ बोर्ड **वक्फ अधिनियम** के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण है। इसलिए, आधिकारिक राजपत्र वक्फ बोर्ड के कहने पर किसी भी अधिसूचना को ले जाने के लिए बाध्य है, लेकिन फिर भी, राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के ऐसे प्रकाशन से केवल इस कारण से बाध्य नहीं है कि इसे इस प्रकार प्रकाशित

7 (2017) 13 एससीसी 174

किया गया है। ***आंध्र प्रदेश राज्य बनाम ए.पी. राज्य वक्फ बोर्ड और अन्य***[8] में, इस न्यायालय ने जिसमें हममें से एक (वी. रामसुब्रमण्यम, जे. एक सदस्य के रूप में) शामिल थे, ने अभिनिर्धारित किया कि आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना के प्रकाशन में आम जनता के लिए ज्ञान की उपधारणा होती है जैसे समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन, लेकिन राज्य राजपत्र में वक्फ बोर्ड के कहने पर प्रकाशित ऐसी अधिसूचना राज्य सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। इसका मतलब यह है कि अधिसूचना, यदि कोई हो, जो वक्फ की सूची देते हुए वक्फ अधिनियम के इशारे पर आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होती है, तो यह एक निर्णायक सबूत नहीं है कि एक विशेष संपत्ति वक्फ संपत्ति है, विशेष रूप से, जब इसे जारी करने में वक्फ अधिनियम की धारा 4 के तहत निर्धारित किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

36. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर, हमें इस तर्क में कोई सार नहीं मिलता है कि वाद भूमि वक्फ संपत्ति है या थी और इस तरह हमेशा वक्फ बनी रहेगी। वाद संपत्ति के संबंध में वक्फ के वैध निर्माण के किसी भी सबूत के अभाव में, इसे वक्फ के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है ताकि इसे वक्फ संपत्ति के रूप में जारी रखा जा सके, चाहे कब्रिस्तान के रूप में इसका उपयोग हो या न हो।

37. अब अपीलकर्ता समिति के विद्वान अधिवक्ता के दूसरे तर्क पर आते हैं कि रिट अपील की सुनवाई करते समय उच्च न्यायालय केवल रिट याचिका को अनुमति देने या उसे खारिज करने के लिए बाध्य था और जब उसने इसे खारिज करने का निर्णय लिया, तो उसके पास सरकार को उन्मूलन अधिनियम की धारा 19ए के तहत दावों पर विचार करने के लिए कोई निर्देश जारी करने का कानून का कोई अधिकार नहीं था।

8 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 159

38. यह तर्क, हालांकि पहली नज़र में, आकर्षक प्रतीत होता है लेकिन गहरी जांच करने पर दो कारणों से गुणों-दोषों से रहित पाया जाता है; पहला, अपीलकर्ता समिति इस तरह के निर्देश से कभी व्यथित नहीं थी क्योंकि उसने कभी भी किसी उच्च मंच में इस पर सवाल नहीं उठाया या चुनौती नहीं दी; दूसरा, ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता समिति ने उक्त निर्णय और उसमें निहित निर्देश को स्वीकार कर लिया है क्योंकि उसने बिना किसी विरोध के या इस संबंध में कोई आपत्ति किए बिना सर्वेक्षण और निपटान निदेशक के समक्ष बाद की कार्यवाही में भाग लिया। ऐसी घटना और परिणामी कार्यवाही में अपीलकर्ता समिति की भागीदारी उसे पलटने से रोकती है ताकि वह उस बिंदु पर आंदोलन करे जिस पर वह उपमत थी और जिसे उसने वस्तुतः छोड़ दिया था या स्वीकार कर लिया था।

39. इस बात को साबित करने के लिए कि अपीलकर्ता समिति ने निर्णय और आदेश दिनांक 12.01.1965 में निहित उच्च न्यायालय की खंड पीठ के निर्देशों के अनुसरण में सर्वेक्षण और निपटान निदेशक के समक्ष कार्यवाही में भाग लिया था, सर्वेक्षण और निपटान निदेशक के आदेश दिनांक 31.01.1975 के कंडिका 10 को पुनरुत्पादित करना प्रासंगिक है जिसके तहत दावेदार उत्तरदाताओं को उन्मूलन अधिनियम की धारा 19ए के तहत शक्तियों के प्रयोग में राहत दी गई है:

"वाद 17.1.75 को सुबह 11.00 बजे पोस्ट किया गया था। मुस्लिम ब्यूरिअल ग्राउंड प्रोटेक्शन कमिटी के सचिव जो तब मौजूद थे, ने कहा कि उनका अधिवक्ता मामले में भाग ले रहा है। उन्होंने कभी स्थगन का अनुरोध नहीं किया। लेकिन अधिवक्ता दोपहर 12:00 बजे तक नहीं आए। मेरे द्वारा मामले की सुनवाई की गई और सचिव भी मौजूद थे। दोपहर 1.50 बजे मुस्लिम ब्यूरिअल ग्राउंड प्रोटेक्शन कमिटी के अधिवक्ता उपस्थित

हुए और आवश्यक वकालतनामा दायर किया। अचानक उन्होंने स्थगन का अनुरोध किया और उन्हें सूचित किया गया कि इस स्थिति में कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा क्योंकि मामले की सुनवाई सुबह मौजूद पक्षों की उपस्थिति में की गई थी। वह लिखित आपत्ति बयान दर्ज करना चाहते थे और उन्हें न्यायालय के उठने से पहले इसे दर्ज करने की अनुमति दी गई; 17.1.75 को शाम 4 बजे; सचिव ने अपना लिखित आपत्ति बयान दर्ज किया।"

40. सर्वेक्षण और निपटान निदेशक के समक्ष कार्यवाही में हारने के बाद, अपीलकर्ता समिति ने राजस्व बोर्ड के समक्ष एक पुनरीक्षण को प्राथमिकता दी जिसे भी खारिज कर दिया गया। पुनरीक्षण में भी कोई तर्क नहीं उठाया गया कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश क्षेत्राधिकार के बिना हैं और उस पर बाध्यकारी नहीं हैं।

41. जैसा कि ऊपर बताया गया है, सर्वेक्षण और निपटान निदेशक और राजस्व बोर्ड के समक्ष कार्यवाही स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि अपीलकर्ता समिति ने उच्च न्यायालय के निर्देशों को स्वीकार कर लिया था और उसके अनुसरण में बिना किसी बाधा के कार्यवाही में भाग लिया था और इस तरह इस न्यायालय के समक्ष पहली बार इतने विलंबित चरण में इस संबंध में कोई आपत्ति उठाने से खुद को वंचित कर लिया था।

42. यह प्रस्तुति कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ का निर्देश स्पष्ट रूप से क्षेत्राधिकार के बिना है और क्षेत्राधिकार का मुद्दा व्यथित पक्ष द्वारा किसी भी स्तर पर उठाया जा सकता है, भी सारहीन है क्योंकि यह उस मामले पर लागू नहीं होगा जहां पक्ष सफलता और विफलता का मौका लेते हुए उसमें कार्यवाही में भाग लेकर क्षेत्राधिकार के अधीन हो गया है। वर्तमान मामले

में, अपीलकर्ता समिति ने उच्च न्यायालय की खंड पीठ के निर्देशों को क्षेत्राधिकार के बिना होने के रूप में चुनौती नहीं दी है, बल्कि परिणामी कार्यवाही में भाग लेकर उक्त निर्देशों को स्वीकार/सहमति दी है। एक बार जब अपीलकर्ता समिति ने आदेश स्वीकार कर लिया और कार्यवाही में भाग लिया, तो कानून में उसे इस तरह का निर्देश जारी करने में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाने से विबंधित किया जाता है। ऐसे विचार में, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलकर्ता समिति को इस स्तर पर क्षेत्राधिकार का प्रश्न उठाने का अधिकार है।

43. स्वीकृति का सिद्धांत को ब्लैक का कानून शब्दकोश, 9वें संस्करण में, किसी व्यक्ति की मौन या निष्क्रिय स्वीकृति या किसी कृत्य के लिए निहित सहमति के रूप में समझाया गया है। इसे साम्यता के एक सिद्धांत के रूप में वर्णित किया गया है जिसे उस मामले में लागू किया जाना चाहिए जहां आदेश पारित किया गया है और बिना किसी आपत्ति के उसका अनुपालन किया गया है। स्वीकृति के बाद विबंधन आता है। छह दशक पहले ***पन्नालाल बिंजराज बनाम भारत संघ***[9] में सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ को विबंध के दायरे को समझाने का अवसर मिला था। यह कहता है कि एक बार जब किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई आदेश पारित किया जाता है और वह कोई आपत्ति उठाए बिना उक्त आदेश के अधिकार क्षेत्र के अधीन हो जाता है या उसका अनुपालन करता है, तो उसे बाद में उक्त आदेश को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जब वह सफल नहीं हो सका। भागीदारी द्वारा न्यायालय के आदेश के अधिकार क्षेत्र के अधीन होने या आदेश का अनुपालन करने में व्यक्ति का आचरण, उसे न्यायालय के समक्ष किसी भी राहत से वंचित करता है।

---

9 एआईआर 1957 एससी 397

44. यह तय है कि कानून किसी व्यक्ति को एक साथ अनुमोदन और अस्वीकार करने की अनुमति नहीं देता है क्योंकि कोई भी पक्ष एक ही लिखत को स्वीकार और अस्वीकार नहीं कर सकता है। किसी व्यक्ति को एक ओर यह कहने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि लेन-देन वैध है और इसके तहत लाभ प्राप्त किया जा सकता है, तथा दूसरी ओर यह कहने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि कोई अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से यह अवैध या गलत है।

45. वर्तमान मामले में स्थिति ऊपर संदर्भित मामले के समान और समरूप है और इस तरह उच्च न्यायालय की खंड पीठ के निर्णय के अनुसरण में बाद की कार्यवाही में भाग लेने के बाद, उसमें असफल होने पर अपीलकर्ता समिति को ऐसे आदेश की वैधता को उठाने या विवाद करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

46. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर, हमें अपीलकर्ता की ओर से पेश किए गए दोनों बिंदुओं में से किसी में भी कोई सार नहीं मिलता है। इस तरह अपीलों में योग्यता का अभाव है और उन्हें लागत के रूप में कोई आदेश दिए बिना खारिज किया जाता है।

दिव्या पांडे — अपीलें खारिज।

(सहायता प्राप्त: रूपांशी विरांग, एल.सी.आर.ए.)

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।